

**न्यायालय:-राजेन्द्र कुमार अहिरवार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी**  
**चन्देरी, जिला-अशोकनगर (म.प्र.)**

**दांडिक प्रकरण क्र.-550 / 11**  
**संस्थापित दिनांक-26.04.2016**  
**Filling no-235103000512011**

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :-

आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर(म.प्र.)।

.....अभियोगी

**बनाम**

- 1-मुखिया उर्फ धनपाल पुत्र हम्मीर सिंह बुन्देला, आयु-56 साल।
  - 2-सरूप सिंह पुत्र धनपाल बुन्देला, आयु-25 साल।
  - 3-राजेश पुत्र सुखलाल प्रजापति, आयु-26 साल।
- सर्व निवासीगण- ग्राम नावनी थाना चंदेरी जिला अशोकनगर।

.....अभियुक्तगण

**-: निर्णय :-**

**(आज दिनांक 27.04.2018 को घोषित)**

**01-** अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 294, 452, 325/34 एवं 324/34 भा.द. वि. के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध का आरोप है कि दिनांक 22.11.2011 को शाम करीब चार बजे फरिदिया ज्योति तिवारी के घर के पास लोक स्थल में उसे मां-बहन की अश्लील गालियां देकर क्षोभ कारित किया तथा अभियुक्तगण ने आहत की मारपीट करने के आशय से उसके घर में घुसकर आपराधिक अतिचार कारित किया तथा अभियुक्तगण न आहत ज्योति के साथ सामान्य आशय के अग्रसरण में मारपीट कर उसका दांत तोड़कर स्वेच्छया घोर उपहति कारित की तथा अभियुक्तगण ने आहत के साथ सामान्य आशय के अग्रसरण में धारदार हथियार से मारपीट कर साधारण उपहति कारित की।

**02-** प्रकरण में कोई स्वीकृत तथ्य नहीं है।

**03-** अभियोजन का पक्ष संक्षेप में है कि आहत ज्योति अपने पति, जेट रविशंकर तथा भाई कन्हेदी के साथ आकर थाना चंदेरी में इस आशय की मौखिक रिपोर्ट लेख कराई कि दिनांक 22.11.11 को शाम चार बजे वह अपने घर पर थी, तभी गांव का मुखिया उर्फ धनपाल बुन्देला, उसका लडका सरूप तथा उसके गांव का ही राजेश कुम्हार तीनों गालियां देते हुये उसके घर के अन्दर घुस आये तथा तीनों हाथ में लाठी डंडा लिये हुये थे। अभियुक्त मुखिया आहत से बोला कि उसका आदमी कहां है, तो उसने कहा कि खेत पर पानी भराने गये है तभी तीनों ने आहत को घर में रोककर मारपीट करने लगे तथा मुखिया ने आहत को पीठ व बांये हाथ में लाठी मारी। सरूप ने उसके मूंह में ठूंसा मारा जिससे जिससे आहत के नीचे का सामने का दांत टूट गया। राजेश कुमार ने आहत के पैर में लाठी मारी तभी चिल्ला चोंट सुनकर देवर दिनेश, उसकी बच्ची तुलसा ने आकर उसे बचाया। उसके बाद

आहत अपने पति व जेठ रविशंकर तिवारी तथा भाई कच्छेदी को उक्त घटना बतायी। पुलिस द्वारा अन्वेषण के दौरान घटना स्थल का नक्शामौका बनाया गया। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये। अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया तथा संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

**04—** अभियुक्तगण को आरोपित धाराओं के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्तगण द्वारा अपराध किये जाने से इंकार किया गया तथा विचारण चाहा गया। अभियुक्त परीक्षण के प्रक्रम पर अभियुक्तगण ने स्वयं को निर्दोष होकर झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया। प्रकरण में बचाव साक्ष्य देना व्यक्त किया। किंतु बचाव पक्ष की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी।

**05—** प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न हैं कि :—

1.	क्या अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 22.11.2011 को शाम करीब चार बजे आहत ज्योति तिवारी के घर के पास लोक स्थान में उसे मां-बहन की अश्लील गालियां देकर क्षोभ कारित किया ?
2.	उक्त दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्तगण ने आहत की मारपीट करने के आशय से उसके घर में घुसकर आपराधिक अतिचार कारित किया ?
3.	उक्त दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्तगण ने आहत ज्योति के साथ घोर उपहति कारित करने के अपने सामान्य आशय के अग्रसरण में मारपीट कर उसका दांत तोड़कर स्वेच्छया घोर उपहति कारित की ?
4.	उक्त दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्तगण ने आहत के साथ उपहति कारित करने के अपने सामान्य आशय के अग्रसरण में धारदार हथियार से मारपीट कर साधारण उपहति कारित की ?

### **—:: सकारण निष्कर्ष ::—**

### **विचारणीय बिन्दु कं. 2, 3 व 4 पर सकारण निष्कर्ष :—**

**06—** साक्षी की पुनरावृत्ति से बचने के लिये तीनों विचारणीय बिन्दुओं का निराकरण एक साथ किया जा रहा है। अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपों को संदेह से परे प्रमाणित करने का भार अभियोजन पर है। अभियोजन साक्षी ज्योति तिवारी (अ.सा.—01), ओमकार (अ.सा.—02), दिनेश तिवारी (अ.सा.—03) ने अपनी न्यायालीन साक्ष्य में व्यक्त किया कि अभियुक्तगण ने बकरी का दूध लगाने पर से लाठीयों से आहत ज्योति तिवारी के साथ मारपीट की है। मारपीट से आहत को हाथ तथा उसके सामने का नीचे का एक दांत टूट जाना व्यक्त किया है। आहत ज्योति तिवारी (अ.सा.—01) ने अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर आरोपीगण द्वारा घर के अंदर घुसकर मारपीट करना प्रकट किया है। साक्षी ने घटना की रिपोर्ट प्रपी-1 व मौका नक्शा प्रपी-2 पर ए से ए भाग पर हस्ताक्षर होना प्रमाणित किया है। प्रकरण के विवेचक

साक्षी सुरेश चन्द्र पटेरिया (अ.सा.-09) ने भी मौका नक्शा प्रपी-2 के बी से बी भाग पर अपने हस्ताक्षर पहचानकर प्रमाणित किया है।

**07—** प्रकरण की दूसरी साक्षी तुलसा (अ.सा.-04) ने अपनी साक्ष्य में व्यक्त किया है कि जब वह घटना के समय स्कूल से घर आयी तो सभी आरोपीगण उसकी मां ज्योति तिवारी के साथ लाठीयों से मारपीट कर रहे थे, जिससे उसकी मां का दांत टूट गया था। साक्षी के चिल्लाने पर उसके चाचा दिनेश घटना स्थल पर आ गये थे। उसके बाद उसने घटना की जानकारी अपने चाचा, पिता व मामा को दी थी। साक्षी दिनेश तिवारी (अ.सा.-03) ने अपनी साक्ष्य में व्यक्त किया कि उसे आहत ज्योति की लडकी तुलसा उसे बुलाकर ले गयी थी, और जब वह घटना स्थल आहत के घर पहुचा तो आरोपी धनपाल डंडा लेकर आहत ज्योति के साथ मारपीट कर रहा था, जिससे उसके हाथ व दांत में चोट आयी थी। प्रकरण में साक्षी दिनेश तिवारी (अ.सा.-03), ओमकार (अ.सा.-02) व तुलसा (अ.सा.-04) ने अपने मुख्य परीक्षण व प्रतिपरीक्षण में सभी अभियुक्तगण द्वारा आहत ज्योति के साथ लाठी डंडो से मारपीट करना प्रकट किया है, किंतु स्वयं आहत ज्योति तिवारी (अ.सा.-01) ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका-5 व कंडिका-6 में यह स्वीकार किया है कि घटना के समय केवल अभियुक्त धनपाल उपस्थित था, शेष आरोपी राजेश व स्वरूप घटना स्थल पर उपस्थित नहीं थे।

**08—** साक्षी ज्योति तिवारी (अ.सा.-01) ने अपने प्रतिपरीक्षण में आगे यह भी स्वीकार किया है कि उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रपी-1 व पुलिस कथन प्रडी-1 में अभियुक्त राजेश व स्वरूप द्वारा मारपीट करने वाली बात लेख नहीं करायी और न ही दोनो अभियुक्त घटना स्थल पर उपस्थित थे। इस प्रकार स्वयं आहत ने अभियुक्त राजेश व स्वरूप के द्वारा घटना स्थल पर उपस्थित होकर उसके साथ मारपीट करने से अपने प्रतिपरीक्षण में इंकार किया है, जिससे उक्त दोनो अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रकरण के अन्य साक्षियों द्वारा आहत के साथ मारपीट करने के संबंध में किये गये कथनों का स्वयं आहत ज्योति तिवारी (अ.सा.-01) ने समर्थन नहीं किया है। जबकि वह आहत है और वह घटना की वस्तु स्थिति अच्छी तरह से जानती थी, जिससे उसके कथनों पर अभियुक्त राजेश व स्वरूप के द्वारा मारपीट न करने के संबंध में अविश्वास नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार स्वयं आहत के कथनों के आधार पर अभियुक्त राजेश व स्वरूप द्वारा उसके साथ मारपीट करना प्रमाणित नहीं होता है। किंतु आहत ज्योति ने आरोपी धनपाल उर्फ मुखिया के द्वारा मारपीट करने की अन्य साक्षियों के साथ साथ पुष्टि की है

**09—** प्रकरण के आहत ज्योति तिवारी (अ.सा.-01) व अन्य साक्षियों ओमकार (अ.सा.-02), दिनेश तिवारी (अ.सा.-03) एवं तुलसा (अ.सा.-04) के कथनों से यह प्रकट होता है कि आरोपी धनपाल उर्फ मुखिया द्वारा आहत ज्योति तिवारी के साथ लाठी से मारपीट करना प्रकट किया गया है। जिसका बचाव पक्ष की ओर से उक्त साक्षियों के कथनों का उनके प्रतिपरीक्षण में खण्डन नहीं किया जा सका है।

बचाव पक्ष की ओर से यह तर्क किया गया कि आहत का पति ओमकार घटना स्थल पर उपस्थित नहीं था, वह घटना होने के बाद घटना स्थल पर आया था, जिससे वह अप्रत्यक्ष साक्षी है, जिससे उसकी साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया जा सकता। किंतु साक्षी ओमकार के कथनों के अनुसार घटना घटने के बाद जब वह अपने घर गया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी ज्योति तिवारी का दांत टूटा हुआ था और उसे कई जगह चोटें आयी थी। बचाव पक्ष द्वारा भी उक्त साक्षी को सुझाव दिया गया है कि उसे घटना के संबंध में उसकी पत्नी आहत ज्योति ने उसे बताया था, जिससे उसे घटना के संबंध में जानकारी हुयी है। प्रकरण में आहत ज्योति ने अपनी साक्ष्य में अभियुक्त धनपाल उर्फ मुखिया द्वारा लाठी से मारपीट करना व्यक्त किया है, जिससे उक्त साक्षी के कथनों की पुष्टि स्वयं आहत की साक्ष्य से हो जाती है, जिससे साक्षी ओमकार (अ.सा.-02) की साक्ष्य प्रकरण में विश्वसनीय होने से ग्राह्य है।

**10—** बचाव पक्ष की ओर से यह भी तर्क किया गया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में रविशंकर तिवारी भी घटना का चक्षुदर्शी साक्षी है, किंतु अभियोजन ने न तो प्रकरण में साक्षी बनाया है और न ही न्यायालय में उसके कथन कराये हैं, जिससे अभियोजन का मामला संदेहास्पद हो जाता है। किंतु प्रकरण में आहत व अन्य साक्षियों की साक्ष्य अभियोजन द्वारा करायी गयी है। किसी साक्षी को प्रकरण में छोड़ देने मात्र से संपूर्ण मामला संदेहास्पद नहीं हो जाता। जबकि प्रकरण के अन्य साक्षियों द्वारा घटना का समर्थन किया है। इस प्रकार बचाव पक्ष द्वारा किया गया उक्त तर्क प्रकरण में ग्राह्य योग्य नहीं है।

**11—** प्रकरण के चिकित्सीय साक्षी डॉ. आर.पी.शर्मा (अ.सा.-08) ने थाने के आरक्षक दिनेश सिंह द्वारा दिनांक 22.11.11 को आहत ज्योति तिवारी को उनके समक्ष परीक्षण हेतु लाया जाना प्रकट किया है। साक्षी ने आहत ज्योति के चिकित्सीय परीक्षण में आहत ज्योति के बांयी भुजा पर 2x1/4, खरोंच दांये भुजा पर 1x1/4 इंच की खरोंच तथा नीचे के जबड़े का इन्साईजर दांत निकला हुआ पाया था, टूटे हुये दांत को उन्होंने दांत के गड्डे में फिट करके भी देखा था। साक्षी ने अपने चिकित्सीय प्रतिवेदन प्रपी-4 को अपने हस्ताक्षरों से प्रमाणित किया है। उक्त साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि गिरने के कारण आहत का दांत टूट जाना संभव है। किंतु बचाव पक्ष द्वारा आहत के गिरने के कारण दांत टूटा हो, ऐसा न तो आहत को प्रति परीक्षण में सुझाव दिया है, और न ही अन्य किसी साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है। बचाव पक्ष द्वारा इस संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है, जिससे यह प्रमाणित होता हो कि आहत के गिरने के कारण उसका दांत टूट गया था, जबकि अभियोजन साक्षियों द्वारा अभियुक्त धनपाल के द्वारा की गयी मारपीट से दांत का टूट जाना प्रकट किया गया है। अतः बचाव पक्ष द्वारा चिकित्सीय साक्षी को दांत टूटने के संबंध में दिये गये सुझाव को स्वीकार कर लेने से भी अभियोजन का मामला संदेहास्पद नहीं हो जाता। इस प्रकार आहत ज्योति तिवारी व अन्य साक्षियों के आहत को चोट आने के कथनों की पुष्टि चिकित्सीय साक्षी ने अपनी चिकित्सीय रिपोर्ट प्रपी-4 से की है।

**12—** प्रकरण के विवेचक सुरेश चन्द्र पटेरिया (अ.सा.—09) ने भी अभियुक्त राजेश व अभियुक्त धनपाल एवं स्वरूप को गिरफ्तारी पत्रक क्रमश 5,6 व 7 द्वारा गिरफ्तार करना व प्रकरण के साक्षियों के कथन लेना अपनी साक्ष्य में प्रकट किया है। जिसका बचाव पक्ष द्वारा प्रतिपरीक्षण में खण्डन नहीं किया गया है।

**13—** साक्षी अशोक (अ.सा.—05) ने अपनी साक्ष्य में चिकित्सक द्वारा उसे एक माचिस की डिब्बी में टूटा हुआ सीलबंद दांत देना प्रकट किया है, जिसका जप्ती पंचनामा प्रपी-3 साक्षी ने प्रमाणित किया है। साक्षी माईकल अमरजीत खलको (अ.सा.—06) ने भी साक्षी अशोक के द्वारा सीलबंद डिब्बा थाने पर लाये जाने पर उसके समक्ष प्रधान आरक्षक नरेन्द्र सिंह द्वारा जप्ती पंचनामा प्रपी-3 बनाकर जप्त करना प्रमाणित किया है। साक्षी नरेन्द्र रघुवंशी (अ.सा.—07) ने भी प्रपी-3 के द्वारा आहत ज्योति का दांत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चंदेरी से पेश होने पर जप्ती पत्रक प्रपी-3 बनाकर अपने हस्ताक्षरों से प्रमाणित किया है। बचाव पक्ष द्वारा यह तर्क किया है कि उक्त साक्षी ने सीलबंद डिब्बे को खोलकर नहीं देखा था कि उसका किसका दांत है, जिससे यह नहीं कहा सकता कि प्रपी-3 की जप्ती पत्रक द्वारा आहत का ही दांत जप्त किया गया था। प्रकरण के चिकित्सीय साक्षी डॉ. आर.पी.शर्मा (अ.सा.—08) ने अपने चिकित्सीय प्रतिवेदन प्रपी-4 में दांत का टूटा हुआ प्रमाणित किया है। साक्षी अशोक ने भी चिकित्सक द्वारा दांत दिया जाना प्रकट किया है, जिससे साक्षी नरेन्द्र रघुवंशी (अ.सा.—07) ने उक्त साक्षियों के समक्ष जप्त किया जाना प्रमाणित किया गया है। अतः बचाव पक्ष का उक्त तर्क ग्राह्य न होने से अस्वीकार किया जाता है।

**14—** प्रकरण के अभियोजन साक्षियों द्वारा आहत के साथ अभियुक्तगण के द्वारा किसी भी धारदार हथियार से मारपीट करना अपनी साक्ष्य में प्रकट नहीं किया गया है और न ही प्रकरण में विवेचक द्वारा कोई भी धारदार हथियार की जप्ती की है। प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रपी-1 व साक्षियों के कथनों से आहत को किसी भी धारदार हथियार द्वारा चोट पहुंचाने का कोई उल्लेख नहीं है। इस प्रकार यह प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्तगण द्वारा आहत ज्योति के साथ धारदार हथियार से मारपीट कर उपहति कारित की है।

**15—** प्रकरण की आहत ज्योति तिवारी ने अपनी मुख्य साक्ष्य में भी अभियुक्तगण द्वारा आंगन में उसके साथ मारपीट करना प्रकट किया है। साक्षी दिनेश तिवारी ने भी अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका-4 में यह प्रकट किया है कि जब वह घटना स्थल पर गया तो उसने आंगन में आहत ज्योति व अभियुक्त मुखिया को खड़ा होना पाया था। मौका नक्शा प्रपी-2 में भी आंगन घर के बाहर का हिस्सा होना दर्शित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति आसानी से आ जा सकता है, जिसे साक्षी दिनेश तिवारी (अ.सा.—03) अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका-4 में स्वीकार किया है। इस प्रकार स्वयं आहत के कथनों के अनुसार घटना के भीतर की न होकर आंगन की है। किंतु स्वयं आहत ने केवल घटना स्थल पर अभियुक्त धनपाल उर्फ मुखिया को ही उपस्थित होकर उसके साथ मारपीट करना प्रमाणित किया है। शेष अभियुक्त राजेश

व स्वरूप को घटना स्थल पर उपस्थित न होना स्वीकार किया है। जिससे घटना स्थल पर केवल अभियुक्त धनपाल द्वारा ही आपराधिक अतिचार करना प्रमाणित पाया जाता है। शेष अभियुक्तगण राजेश व सरूप द्वारा आपराधिक अतिचार करना, प्रमाणित नहीं पाया जाता है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचना से विचारणी बिन्दु क्रं. 2 व 3 अभियुक्त धनपाल उर्फ मुखिया के विरुद्ध ही प्रमाणित किये गये हैं। विचारणीय बिन्दु क्रं. 4 अभियुक्त धनपाल के विरुद्ध प्रमाणित नहीं हुआ है। शेष दो अभियुक्त राजेश व सरूप के विरुद्ध विचारणीय बिन्दु क्रं. 2, 3 व 4 प्रमाणित नहीं हुये हैं।

### **विचारणीय बिन्दु क्रं. 1 पर सकारण निष्कर्ष :-**

**16—** प्रकरण की आहत ज्योति तिवारी (अ.सा.-01) ने केवल अभियुक्तगण द्वारा गालियां देना अपनी साक्ष्य में प्रकट किया है, किंतु किस प्रकार की अभियुक्तगण द्वारा किस प्रकार की गालियां दी गयी, इस संबंध में कोई स्पष्ट कथन नहीं किया है। प्रकरण के शेष साक्षी दिनेश तिवारी (अ.सा.-02) एवं तुलसा (अ.सा.-04) ने अभियुक्तगण द्वारा आहत को अश्लील गालियां देने के संबंध में अपनी साक्ष्य में कोई कथन नहीं किया है, जिससे यह प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्तगण द्वारा आहत को सार्वजनिक स्थान पर अश्लील गालियां दी हो, जिससे उसे क्षोभ कारित हुआ हो अतः अभियोजन विचारणीय बिन्दु क्रं. 1 अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रमाणित करने में असफल रहा है।

**17—** उपरोक्त संपूर्ण विश्लेषण में आई साक्ष्य से अभियोजन अभियुक्त राजेश व स्वरूप के विरुद्ध धारा 325 सह पठित 34, 324 सह पठित 34, 452, 294 भारतीय दण्ड संहिता एवं अभियुक्त धनपाल उर्फ मुखिया के विरुद्ध 294, 324 सह पठित 34 का अपराध प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त राजेश व स्वरूप को धारा 325 सह पठित 34, 324 सह पठित 34, 452, 294 भारतीय दण्ड संहिता एवं अभियुक्त मुखिया उर्फ धनपाल को धारा 324 सह पठित 34, 294 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। किंतु अभियोजन अभियुक्त धनपाल उर्फ मुखिया के विरुद्ध आहत ज्योति के साथ उसके घर में घुसकर अतिचार कर स्वेच्छया पूर्वक मारपीट कर बिना किसी प्रकोपन के मारपीट कर उसका दांत तोड़कर घोर उपहति कारित करना एवं आपराधिक अतिचार करना प्रमाणित करने में पूर्णतः सफल रहा है, यद्यपि अभियुक्त धनपाल पर 325/34 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप लगाया है, किंतु अन्य सह अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप प्रमाणित न होने से अभियुक्त धनपाल उर्फ मुखिया को धारा 325 एवं 452 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत सिद्धदोष पाते हुये दोषसिद्ध किया जाता है।

**राजेन्द्र कुमार अहिरवार**  
**न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी**  
**चंदेरी, जिला अशोकनगर (म.प्र.)**

**पुनश्च :-**

**18—** दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने यह व्यक्त किया कि अभियुक्त का यह प्रथम अपराध है एवं वृद्ध व्यक्ति है जिसे न्यूनतम दण्ड से दंडित किये जाने का निवेदन किया। उक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त दिनेश कुमार गुप्ता को निम्नानुसार दंडित किया जाता है:-

अभियुक्त का नाम	भा0दं0स0 की धारा	कारावास	अर्थदण्ड	व्यतिक्रम पर कारावासीय दण्ड
मुखिया उर्फ धनपाल पिता हम्मीर सिंह बुन्देला	धारा 452 भारतीय दण्ड संहिता	एक वर्ष का सश्रम कारावास	1000 /— (एक हजार रुपये मात्र) अर्थदण्ड	अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में दो माह का सारधारण कारावास
मुखिया उर्फ धनपाल पिता हम्मीर सिंह बुन्देला	धारा 325 भारतीय दण्ड संहिता	एक वर्ष का सश्रम कारावास	1000 /— (एक हजार रुपये मात्र) अर्थदण्ड	अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में दो माह का सारधारण कारावास

**19—** दोनों दण्ड एकसाथ भुगताये जावें।

**20—** अभियुक्तगण के जमानत एवं मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

**21—** अभियुक्त का धारा 428 दंड प्रक्रिया संहिता का अभियुक्त अभिरक्षा अवधि का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

**22—** अभियुक्त का सजा वारंट बनाया जावे।

**23—** अभियुक्त को निर्णय की निःशुल्क प्रति प्रदान की जावे।

**24—** प्रकरण में जप्तशुदा दांत मुल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात नष्ट किया जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलिय न्यायलय के आदेशानुसार कार्यवाही की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित कर हस्ताक्षरित,दिनांकित किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

राजेन्द्र कुमार अहिरवार  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
चंदेरी, जिला अशोकनगर (म.प्र.)

राजेन्द्र कुमार अहिरवार  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
चंदेरी, जिला अशोकनगर (म.प्र.)

